

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र सं०- 09/उपा०बीज०अनु०-58/2017 6980 /कृ० पटना, दिनांक 23-11-2017
प्रेषक :

हिमांशु कुमार राय, भा० प्र० से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में :

194

मेसर्स इको एग्री सीड्स प्रा० लि०,
द्वारा-कृष्णमोहन पोद्दार, ग्राम-हरदास चक,
पे०-कोशी कॉलेज, जिला-खगड़िया

विषय : बीज बिक्री अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

आपसे प्राप्त प्रपत्र-ए.कोषागार चालान, स्थल जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर बिहार राज्य में बीज बेचने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन क्रमांक-7 के लिए पंजीकरण किया जाता है:-

1. बीज अधिनियम 1966 के सभी धाराओं को आप पूरा-पूरा पालन करेंगे।
2. बीज बिक्री एवं भंडारण का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशालय को हर माह के 20 तारीख तक भेजें। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
3. बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अंतर्गत घोषित बीज समय-समय पर बीज नमूना जाँच के लिए लेंगे।
4. हर बिक्री के लिए अलग पंजीकरण कर दें। बिक्री केन्द्रों की संख्या में यदि वृद्धि करें तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी को देते हुए उसकी पंजीकरण के लिए 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र दें अन्यथा अवैध ढंग से व्यापार करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
5. बीज बिक्री हेतु बीज विक्रेता नियुक्त कर सकते हैं।
6. पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या 314/2017 संलग्न है।
7. राज्य के लिए केवल अनुशंसित/अधिसूचित बीज का ही व्यापार संलग्न सूची के अनुसार करेंगे।
8. पंजीकरण की वैधता तिथि 22.11.2020 तक मान्य है।
9. कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :- बीज की सूची संलग्न।

विश्वासभाजनी

23.11.17

(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 6980

/कृ०, पटना, दिनांक 23-11-2017

प्रतिलिपि:- 1. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/ उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) तेलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/ सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

23.11.17

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

मेसर्स इको एग्री सीड्स प्रा० लि० द्वारा व्यवसाय किये जाने वाले बीजों की सूची

पत्रांक: ६१४०

दिनांक: २३.११.२०१७

LIST OF SEED

SR.NO.	CROP	VARIETIES
	Hybrid	
1	Maize	ECO-91, ECO-92, ECO-PARMESHWAR, ECO-VARUN, ECO-DIAMOND, ECO-TEJUS, ECO-SARAS, ECO-VIRAT, ECO-SANKET, ECO-3506, ECO-SHREYA, ECO-5051, ECO-5053, ECO-5006
2	JOWAR	ECO-3501, ECO-3081, ECO-6096, ECO-6022, ECO-05
3	SUN FLOWER	ECO-51
4	PADDY (DHAN)	ECO-18, ECO-12
5	BAJRA	ECO-3506, ECO-3081, ECO-10, ECO-22
6	BHINDI	ECO-44, ECO-45
7	TOMATO	ECO-01, ECO-02
8	CHILLI	ECO-61, ECO-118, ECO-120
9	BRINJAL	ECO-90, ECO-112, ECO-132
10	BOTTLE GOURD	ECO-145, ECO-74
11	BITTER GOURD	ECO-72, ECO-77, ECO-125
12	RIDGE GOURD	ECO-71, ECO-76
13	SNAKE GOURD	ECO-75
14	CUCUMBER	ECO-60, ECO-96
15	RADISH	ECO-88, ECO-150
16	CAPSICUM	ECO-555
17	PUMPKIN	ECO-24
18	CABBAGE	ECO-105
19	CAULIFLOWER	ECO-99
20	WATERMELON	ECO-50

- कृषि निदेशालय के ज्ञापक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

२३/११/१७

A. Kumar
23-11-17
(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।



FORM 'B'
(See Clause 5)

LICENCE TO CARRY ON BUSINESS OF A DEALER IN SEEDS

Licence No. 74/2017 Date 23-11-2017

Subject to the provisions of seed (Control) Order, 1983 and to the terms and conditions of the licence Sri मेसर्स इको एग्री सीड्स प्रा० लि०, द्वारा-कृष्णमोहन पोद्दार, ग्राम-हरदास चक, पो०-कोशी कॉलेज, जिला-खगड़िया is hereby granted licence to sell, export, import and store for the said purposes of seeds.

2. The licensee shall carry on the afore-said business at मेसर्स इको एग्री सीड्स प्रा० लि०, द्वारा-कृष्णमोहन पोद्दार, ग्राम-हरदास चक, पो०-कोशी कॉलेज, जिला-खगड़िया the details of boundary of places for storage and sale appear below.

Place of Storage	Place of Sale
मेसर्स इको एग्री सीड्स प्रा० लि०, द्वारा-कृष्णमोहन पोद्दार, ग्राम-हरदास चक, पो०-कोशी कॉलेज, जिला-खगड़िया	मेसर्स इको एग्री सीड्स प्रा० लि०, द्वारा-कृष्णमोहन पोद्दार, ग्राम-हरदास चक, पो०-कोशी कॉलेज, जिला-खगड़िया
पूरब - श्री छत्री वर्मा का निज मकान	पूरब - श्री छत्री वर्मा का निज मकान
पश्चिम - निजी रास्ता	पश्चिम - निजी रास्ता
दक्षिण - श्री बेचन वर्मा का निज मकान	दक्षिण - श्री बेचन वर्मा का निज मकान
उत्तर - श्री मनोज कुमार वर्मा का निज मकान	उत्तर - श्री मनोज कुमार वर्मा का निज मकान

Date: 23-11-2017
Seal:


Licensing Authority
Director of Agriculture
Bihar, Patna

TERMS AND CONDITIONS OF LICENCE

1. The licence shall be displayed at a prominent and conspicuous place in a part of the business premises open to the public.
2. The holder of the licence shall comply with the provisions of the seed (Control) order, 1983 and the notifications issued there under and for the time being in force.
3. This licence comes into force with immediate effect and shall be valid upto 22-11-2020 Unless previously cancelled or suspended. (Twenty two NOV. Two thousand Twenty)
4. The holder of the licence shall from time to time report to the licensing authority and change in the premises where he carries on his business of sale, export, import or storage for the said purposes seeds.
5. The licence shall give every facility to the licensing authority or any other officer acting under his authority for the purpose of inspecting his stock in any shop, depot or godown or other place/places used by in him for the purpose of storage. Sale or export of seed.
6. Seperate licence should be obtain if business is carried more than one place (For each place seperately).

 